



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052022-235601
CG-DL-E-06052022-235601

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119]
No. 119]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2022/वैशाख 16, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2022/VAISAKHA 16, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2022

सं. 07 / 2015–2020

विषय : यूएस राजकोषीय वर्ष 2022 हेतु प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के अंतर्गत यूएसए को खांड के निर्यात के लिए 2051 मीट्रिक टन की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन।

फा. सं. 01/91/180/879/एएम08/ईसी/खण्ड VIII/ई20749.—विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा यूएस राजकोषीय वर्ष 2022 (1 अक्टूबर, 2021 से 30 सितंबर, 2022) हेतु यूएसए को प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के अंतर्गत निर्यात हेतु खांड की 2051 मी.ट. की अतिरिक्त मात्रा आवंटित करते हैं। इस अतिरिक्त आबंटन से राजकोषीय वर्ष 2022 के दौरान टीआरक्यू के अंतर्गत यूएसए को चीनी के निर्यात की मात्रा निम्नानुसार होगी:

सार्वजनिक सूचना सं. और तिथि	आवंटित चीनी की मात्रा (मीट्रिक टन)
दिनांक 14.10.2021 की सार्वजनिक सूचना सं. 28/2015–20 के तहत आवंटित मात्रा	8424
अतिरिक्त आवंटित मात्रा	2051
कुल आवंटित मात्रा	10475

2. टीआरक्यू के अंतर्गत यूएसए को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात अधिसूचना सं. 3/2015-20 दिनांक 20.04.2015 में 'प्रतिबंधों के स्वरूप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन 'मुक्त' है। सार्वजनिक सूचना संख्या 28/2015-20 दिनांक 14.10.2020 के अनुसार रिपोर्ट करने की शर्त का पालन किया जाना जारी रहेगा।
3. यूएसए को तरजीही चीनी के निर्यात हेतु उद्गम प्रमाण-पत्र यदि अपेक्षित हो, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूएसए को चीनी के निर्यात के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित अन्य प्रमाणन आवश्यकताओं, यदि कोई हो, का अनुपालन किया जाना जारी रहेगा।
4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

टीआरक्यू कोटे के तहत यूएसए को 30.09.2022 तक निर्यात किए जाने के लिए 2051 मीट्रिक टन खांड की अतिरिक्त मात्रा को अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th May, 2022

No. 07/2015-2020

Subject : Allocation of additional quantity of 2051 MT for export of raw sugar to USA under Tariff Rate Quota (TRQ) for the US Fiscal Year 2022.

F. No. 01/91/180/879/AM08/EC/Vol. VIII/E20749.—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby allocates an additional quantity of **2051 MT** raw sugar for export under Tariff Rate Quota (TRQ) to USA for the US fiscal year 2022 (October 1, 2021 to September 30, 2022). With this additional allocation, quantity for export of sugar to USA under TRQ for the fiscal year 2022 would be as under: -

Public Notice No. & Date	Quantity of sugar allocated (MT)
Quantity allocated under Public Notice No. 28/2015-20 dated 14.10.2021	8424
Additional Quantity Allocated	2051
Total Quantity Allocated	10475

2. Export of sugar (HS Code 17010000) to USA under TRQ is 'Free' subject to the conditions notified in the 'Nature of Restrictions' in Notification No. 3/2015-20 dated 20.04.2015. The reporting requirement as per Public Notice No. 28/2015-20 dated 14.10.2020 would continue to be followed.

3. Certificate of Origin, if required, for export of preferential sugar to USA, shall be issued by Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai. Other certification requirement, if any, prescribed specifically for export of sugar to USA would continue to be followed.

4. Effect of this Public Notice:

Additional quantity of 2051 MT of raw sugar, for export to USA, under TRQ, upto 30.09.2022, has been notified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.